

**फॉर्म**  
**अचल संपत्ति विवरण का वर्ष 2016**

37

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम डॉ. राजेश चंद्र गुप्ता 2. वर्तमान धारित पद सी.न.ए. 2000 (मिडिल) 3. कार्यालय का नाम परीक्षा एवं प्रशिक्षण  
4. वर्तमान वेतन ₹ 37510 + ग्रांट  $\frac{26600}{12}$  5. भविष्य निधि क्रमांक 23983306 6. कर्मचारी संख्या 88380942

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. जिला-सुरेंद्र नगर उप-संभाग-पुलगांव तालुका-पुलगांव	—	25' x 45' = 1125 वर्ग फुट	₹ 12.00 लाख	श्री. राजेश चंद्र गुप्ता	खरीद कर दि. 11.06.38 श्री. राजेश चंद्र गुप्ता जिला-सुरेंद्र नगर दि. 16.6.2010	— निरंतर —	—
2. जिला-उदालगिरा उप-संभाग-उदालगिरा तालुका-उदालगिरा	15' x 40' = 600 वर्ग फुट	—	₹ 50.00 लाख	श्री. राजेश चंद्र गुप्ता	खरीद कर दि. 16.6.2010	— निरंतर —	—
3. जिला-उदालगिरा उप-संभाग-उदालगिरा तालुका-उदालगिरा	—	20.00 ई. x 10.00 ई. = 200 वर्ग मीटर	₹ 5.00 लाख	श्री. राजेश चंद्र गुप्ता	हस्तांतरण दि. 16.6.2010	— निरंतर —	—

1. जिला-सुरेंद्र नगर  
उप-संभाग-पुलगांव  
तालुका-पुलगांव

2. जिला-उदालगिरा  
उप-संभाग-उदालगिरा  
तालुका-उदालगिरा

3. जिला-उदालगिरा  
उप-संभाग-उदालगिरा  
तालुका-उदालगिरा

20.00 ई. x 10.00 ई. = 200 वर्ग मीटर

₹ 5.00 लाख

श्री. राजेश चंद्र गुप्ता

हस्तांतरण दि. 16.6.2010

नाम डॉ. राजेश चंद्र गुप्ता 26.12.2016

पद सी.न.ए. 2000 (मिडिल)

\* जहां लागू न हो काट दीजिए  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आधरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।